

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी ( अलवर )

उनवान ..... के मुकदमा नं० २५/१७

तारीख हुकम ..... हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ६/२/१८

प्रीति प्रायो, वकील/अभियंता. कायदा नं०  
पीठासीन आ=  
दिनांक..... को पेश हो।

12/09/19

पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। इस आठ फा से संबंधित मूलवाद रजिनामा के आधार पर खारिज हो चुका है अब इस आठ फा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आठ फा २१२ R.T. Act खारिज किया जाता है जिसल कुमल शुमार दोडर नम्बर ले डर डी जबर खास तहसील दखिल दरार हो।

उपखण्ड अधिकारी  
थानागाजी (अलवर)